

न्यायालय जिला कलक्टर एवं आर्बिट्रेटर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी : जसमीत सिंह संधू (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 42/2020 (फोरलेन)

उनवान

- 1 श्री रतना गुर्जर पुत्र रायमल गुर्जर, निवासी गलोदिया, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।

—प्रार्थी

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति), एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
2. परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 6-ए-1, आर0सी0 ब्यास कॉलोनी भीलवाडा।
3. तहसीलदार सहाडा, तहसील सहाडा मु0 गंगापुर जिला भीलवाडा।
4. श्रीमति दाखी बाई पत्नि गंगाराम गुर्जर (मृतक के बजाय कायम मुकाम)।
- (1) श्री नारायण पिता गंगाराम गुर्जर निवासी गलोदिया, तहसील सहाडा, जिला भीलवाडा।
- (2) श्री बदरीलाल पिता गंगाराम गुर्जर निवासी गलोदिया, तहसील सहाडा, जिला भीलवाडा।
- (3) कमला पुत्री गंगाराम गुर्जर निवासी गलोदिया, तहसील सहाडा, जिला भीलवाडा।
- (4) जस्सू पुत्री गंगाराम गुर्जर निवासी गलोदिया तहसील सहाडा, जिला भीलवाडा।
- (5) नारायणी पुत्री गंगाराम गुर्जर निवासी गलोदिया तहसील सहाडा, जिला भीलवाडा।
5. देऊ पिता अमरा गुर्जर, निवासी गलोदिया, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-3जी-5 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 विरुद्ध
अवार्ड क्रमांक फोरलेन/2014/प्रतिकर निर्धारण/61-62 दिनांक 29.09.2014

उपस्थित -



- 1 अधिवक्ता प्रार्थी- हरदयाल वर्मा, श्री लादूलाल गुर्जर
2. अधिवक्ता अप्रार्थी - श्री मुकुट बिहारी दाधिच, श्री गोविन्द मेवाड़ा।

निर्णय

दिनांक : 11-06-2025

- 1- प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 3-जी-5 एनएच एक्ट 1956 के तहत प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि प्रार्थी व सह काशतकार संख्या 4/1 से 6 की संयुक्त खातेदारी व कब्जेयाबी की ग्राम गलोदिया तहसील सहाडा की आराजी संख्या 260 रकबा 0.0400 हैक्टर, आराजी संख्या 261 रकबा 0.0390 हैक्टर कुल रकबा 0.0790 हैक्टर जिसमें प्रार्थी को 1/2 है जिसे राजसमंद से भीलवाडा सेक्शन फोरलेन हेतु अवाप्त की गयी। प्रार्थी के हिस्से को राजसमंद से भीलवाडा सेक्शन फोरलेन हेतु अवाप्त की गयी। केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग

जसमीत सिंह संधू
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा